ग्राम पंचायत नेरी नावन, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग—एक

1 **प्रस्तावनाः—**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत नेरी नावन, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री जसवन्त सिंह	1.4.2014 से 22.1.2016 तक
2	श्रीमती राधा देवी	23.1.2016 से लगातार

सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री सुरेन्द्र सिंह	अवधि ज्ञात नहीं थी
2	श्री विरेन्द्र सिंह	————
3	श्री नेकराम	————
4	श्री अजय शर्मा	————

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत नेरी नावन के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹)
1	5	रोकड़ बही व बैंक शेषों में अन्तर	0.68

2	6	खाता "ख" में अर्जित ब्याज को खाता "क" में अन्तरित न करना	0.32
3	8	गृहकर की शेष वसूली	0.29
4	9	अनुदानों की राशि का उपयोग न करना	14.40
5	10	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना स्टोर/स्टॉक का क्रय	——
6	11	जे0सी0बी0 चार्जिज का अनियमित भुगतान	2.77
7	12	स्टोर/स्टॉक सामग्री की प्रविष्टि न करना	———
8	13	सीमेंट को HPSCS से न खरीदकर निजी विक्रेताओं को राशि का अधिक भुगतान	0.07
9	14	जे0सी0बी0 चार्जिज की राशि का अधिक भुगतान	0.10
10	15	बिना बिल/वाउचर के राशि का आहरण/भुगतान व आहरित राशि का सम्भावित दुरूपयोग	0.80
11	16	DWDO से प्राप्त अनुदान का सम्बन्धित खाते में जमा न पाया जाना	1.02
12	21 (क)	रसीदों से छेड़—छाड़ कर एकत्रित राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन	0.02
13	22	नियम 17 (2) व नियम 50 की अवहेलना कर राशि का बिना पावती के भुगतान	——

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत नेरी नावन, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 14.7.2017 से 20.7.2017 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया तथा जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासो ंका चयनित किया गया।

वर्ष	आय	व्यय
2014—15	02/2015	03/2015
2015—16	03/2016	10/2015
2016—17	03/2017	10/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत नेरी नावन, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या जीपी(आडिट)/पच्छाद/2017—18—2 दिनांक 20.7.2017 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत नेरी नावन से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः—

ग्राम पंचायत नेरी नावन द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः—

i) स्वः स्त्रोतः— ग्राम पंचायत नेरी नावन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः—

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014—15	——	207269	207269.00	172870.00	34399.00
2015—16	34399.00	238952	273351.00	170399.18	102951.82
2016—17	102951.82	258296	361247.82	241771.00	119476.82

नोटः— ग्राम पंचायत नेरी नावन की स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय—व्यय को भी सामान्य निधि खाते में ही जमा करवाया गया है तथा स्वः स्त्रोत का खाता अलग से होने के कारण स्वःस्त्रोत का 1.4.2014 को प्रारम्भिक शेष ज्ञात नहीं किया जा सका जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखं, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्वः स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर खताा "क" में रखे जाने का

प्रावधान है। अतः स्वः स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय को पृथक से खाता खोलकर उसमें आय को जमा किया जाना व उसी खाते से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

ii) अनुदानः– ग्राम पंचायत नेरी नावन की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 में अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, तथा जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** मे भी दिया गया है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	807941.52	1411651	2219592.52	1720518	499074.52
2015–16	499074.52	1107083	1606157.52	1036898	569259.52
2016–17	569259.52	1037719	1584538.52	144550	1439988.52

नोटः– (1) रोकड़ बही में मासान्त/वर्षान्त प्रारम्भिक व अन्तिम शेष नहीं दर्शाए गए हैं अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 1.4.2014 के प्रारम्भिक शेष को ही वित्तीय स्थिति का दिनांक 1.4.2014 का प्रारम्भिक शेष (Opening Balance) लिया गया है।

(2) पंचायत सचिव द्वारा अनुदान, विकास कार्य की रोकड़ बही का 14.2.2017 के बाद संधारण नहीं किया गया था, अतः उक्त अवधि 14.2.2017 से 31.3.2017 के दौरान प्राप्त आय ₹22420 तथा ₹79692 की निकासी वित्तीय स्थिति में शामिल नहीं किया गया है।

5 रोंकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण ₹0.68 लाख का अन्तरः–

(क) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करने पर पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य है। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है, जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही (वित्तीय स्थिति) तथा बैंक के शेषों में दिनांक 31.3.2017 को निम्नविवरणानुसार ₹68517.20 का अन्तर है जिसकी जाँच की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही के अनुसार तैयार वित्तीय स्थिति व बैंक शेष में अन्तर

क्र0सं0	विवरण	राशि (₹)
1	स्वः स्त्रोत	119476.82
2	अनुदान	1439988.52
3	वित्तीय स्थिति अनुसार 31.3.2017 को अन्तिम शेष	1559465.34
4	विभिन्न बैंकों में 31.3.17 को जमा	1490948.14
5	अन्तर	68517.20
6	अन्तर के कारण (क) विकास कार्य की रोकड़ बही का अवधि 14.2.2017 से 31.3.2017 के दौरान संधारण न करने के कारण (i) उपरोक्त अवधि के दौरान कुल प्राप्ति=22440 (ii) उपरोक्त अवधि के दौरान कुल आहरण=79692	
7	(6(i)–6 (ii))=(22440–79692)	(–) 57252
8	शेष अन्तर (5–7) कारण ज्ञात नहीं	11265.20

(उपरोक्त क्रम संख्या 6 व 7 का विस्तृत ब्यौरा पैरा 15 में दिया गया है)

विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि का ब्यौरा

क्र0सं0	बैंक का नाम	बचत खाता संख्या	जमा राशि (₹)
1	HPSC Bank, Kheri	5751010598	1280822.14
2	-do-	57510100599	583.00
3	-do-	57510100600	9066.00
4	SBI, Kheri	31297095754	200477.00
		कुल जमा राशि	**1490948.14**

6 पंचायत के खताा "ख" में अर्जित ब्याज ₹0.32 लाख को खाता "क" में हस्तांतरित न किया जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज को पंचायत निधि स्वः संसाधनों के खाता "क" में हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पंचायत के खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" में अर्जित ब्याज की ₹32358

को खाता "क" में हस्तांतरित नहीं किया गया था। उपरोक्त वर्णित ब्याज की राशि का ब्यौरा निम्न तालिका अनुसार हैः–

अनुदान का नाम			
बी0आर0जी0एफ0		विकास कार्य	
माह	**अर्जित ब्याज "A"**	**माह**	**अर्जित ब्याज "B"**
09/2014	5156	06/15	4511
03/2015	3252	12/15	4814
05/2015	403	06/16	4350
09/2015	1181	09/16	2146
03/2016	748	12/16	2342
09/2016	597	03/17	2440
03/2017	418	———	——
कुल	**11755**	**कुल**	**20603**
		कुल अर्जित ब्याज (A+B)	**32358**

अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए खाता "ख" में अर्जित ब्याज की राशि को खाता "क" में हस्तांतरित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7 स्वयं के स्त्रोत से आय की वसूली में उदारताः–

ग्राम पंचायत नेरी नावन को गत तीन वर्षों में स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत को स्वः स्त्रोत से बहुत ही कम आय प्राप्त हो रही है जिसका प्रमुख कारण गृहकर व अन्य करों की समय पर वसूली न करना है। पंचायत ने पिछले कई वर्षों से गृहकर व अन्य करों की दर ही निर्धारित नहीं की है। सचिव पंचायत नेरी नावन द्वारा उनके पत्र क्रमांक जी0पी0–21/17 दिनांक 20.07.2017 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न करों व शुल्कों की अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित दरों से वसूली की गई हैः–

क्र0सं0	विवरण	(शुल्क/दर) दरें (₹)
1	विवाह पंजीकरण शुल्क (बी0पी0एल0)	25
2	विवाह पंजीकरण शुल्क (अन्य)	200
3	जन्म पंजीकरण	10
4	जन्म प्रमाण पत्र प्रारूप–5	10

5	जन्म प्रमाण पत्र प्रारूप–6	10
6	परिवार नकल/परिवार छायाप्रति	10
7	पशु पंजीकरण शुल्क	10
8	अपर्याप्तता प्रमाण पत्र	10
9	सम्पत्ति कर	50 प्रति वर्ष
10	मोबाईल टावर फीस	2000 प्रति वर्ष

अतः उक्त दरों को निर्धारित न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य मे समय रहते इन दरों का नियमानुसार निर्धारण कर तदानुसार ही इन करों व शुल्कों की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

8 गृहकर के रूप में ₹0.29 लाख की वसूली शेषः–

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या जी0पी0ऑडिट/पच्छाद/नेरी नावन/2017–18–1 दिनांक 15.7.2017 के सन्दर्भ में सचिव ग्राम पंचायत नेरी नावन द्वारा उनके पत्र क्रमांक जी0पी0–21/17 दिनांक 20.7.2017 द्वारा गृहकर के बारे में जो सूचना प्रदान की गई उसके अनुसार दिनांक 31.3.2017 को पंचायत को गृहकर के रूप में ₹17880 वसूली योग्य शेष बताई गई। जबकि उपरोक्त पत्र के अनुसार अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान पंचायत में पंजीकृत परिवारों की कुल संख्या के अनुसार ₹50 प्रति परिवार (प्रतिवर्ष) के हिसाब से उक्त अवधि में गृहकर की निम्न तालिका के अनुसार ₹29205 वसूली योग्य शेष बनती है।

वर्ष	पंजीकृत परिवार की सं0	गृहकर की प्रतिवर्ष दर (₹)	गृहकर की वसूली योग्य कुल राशि (₹)	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि (₹)	गृहकर की वसूली योग्य शेष राशि (₹)
2014–15	305	50	15250	––	15250
2015–16	341	50	17050	18495	(–) 1445
2016–17	308	50	15400	––	15400
		कुल योग	**47700**	**18495**	**29205**

परन्तु अंकेक्षण के दौरान उक्त कर की वसूली से सम्बन्धित अन्य कोई भी अभिलेख/दस्तोवज, जैसे गृहकर की वसूली से सम्बन्धित (मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर) जिससे उक्त शुल्क/कर की वसूली योग्य शेष राशि का सही पता लगाया जा सके अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त अनुसार गृहकर के रूप में ₹29205 वसूली योग्य शेष बनती है जिसकी वसूली शीघ्र अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

9 अनुदानों की ₹14.40 लाख का उपयोग न करनाः—

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक अनुदानों से प्राप्त ₹1439988.52 **(परिशिष्ट—1)** की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत को विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ—साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित रहना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की उपरोक्त राशि के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त राशि को व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का सम्बन्धित संस्था को प्रर्त्यापण किया जाये।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टोर/स्टॉक का क्रयः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधिक है जिसके अनुसार ₹1000 से अधिक के व ₹50000 के कम राशि के क्रय हेतु निविदाएँ आमन्त्रित किया जाना तथा ₹50000 से अधिक राशि के क्रय हेतु टैंडर आमन्त्रित किए जाने का प्रावधान है ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त हो सके। जबकि नियम के नियम 67 (3) (a) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पचांयत द्वारा नामित दो वार्ड सदस्यों तथा सचिव को सम्मिलित करके एक उप समिति का गठन करके समिति द्वारा निविदा/कोटेशन्स आमन्त्रित करने के उपरान्त ही क्रय किए जाने

की प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा बिना उप समिति का गठन किये तथा नियमानुसार कोटेशन/निविदाएँ आमन्त्रित किए बिना ही स्टोर/स्टॉक की सामग्री का क्रय किया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः उक्त व्यय/क्रय को नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक व्यय/क्रय नियमानुसार तरीके से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त नियमों की अवहेलना पर पंचायत द्वारा किये गये क्रय की कुछ मदों का ब्यौरा **(परिशिष्ट–2)** पर संल्गित है।

11 जे0सी0बी0 चार्जिज का ₹2.77 लाख का अनियमित भुगतानः–

ग्राम पंचायत नेरी नावन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु जे0सी0बी0 को प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर ₹277184 का भुगतान बिना निविदाएं आमन्त्रित किये बिना ही किया गया है, जबकि पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 (5) (a) व (b) के अनुसार ₹1000 से अधिक की राशि के भुगतान/क्रय के लिये कोटेशन्स/निविदाएँ आमन्त्रित की जानी अनिवार्य है। जबकि नियम 67 (3) के अनुसार उक्त कार्यों हेतु कोटेशन्स/निविदाएँ आमन्त्रित करने के लिए एक उप समिति का गठन किया जाना अनिवार्य था, जिनकी अनुपालना किये बिना ही पंचायत द्वारा जे0सी0बी0 को विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग में लाया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त जे0सी0बी0 द्वारा करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित भी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिनकी अनुपस्थिति में जे0सी0बी0 चार्जिज का लाखों का भुगतान तर्कसंगत व उचित था नहीं कहा जा सकता। अतः सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा जे0सी0बी0 द्वारा करवाए गये कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न ठेकेदारों को जे0सी0बी0 चार्जिज का भुगतान करते समय कोई भी संवैधानिक कटौतियाँ नहीं की गई है जबकि नियमानुसार सम्बन्धित ठेकेदारों से निम्न वर्णित संवैधानिक कटौतियाँ की जानी वाँछित थी।

(क) आयकर 2**%**

(ख) सेल्स टैक्स 3**%**

(ग) प्रतिभूति राशि 10**%**

(घ) लेबर सेस 1**%**

अतः उपरोक्त कटौतियों को सम्बन्धित बिल से न किये जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतियाँ करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

जे0सी0बी0 चार्जिज का ₹277184 के अनियमित भुगतान का विवरणः–

क्र0सं0	**फर्म/ठेकेदार का नाम**	**बिल संख्या/दिनांक**	**कार्य के घंटे**	**दर प्रति घंटा**	**कुल भुगतान**
		सामान्य निधि			
1	आर0के0 टिंकल, खेरी	103/10.3.15	118	800	92984
2	–यथोंपरि–	133/14.3.15	7	800	5016
3	–यथोंपरि–	134/14.3.15	29	800	22984
4	एस0टी0 कंस्ट्रक्शन	406/19.3.15	32.5	745	24000
5	रणजीत ठाकुर	433/24.3.15	32	800	25000
6	कँवर अर्थ मूवर	–––	134	800	107200
				कुल अदायगी	**277184**

12 ₹1.09 लाख की क्रय मदों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त/क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत नेरी नावन के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु क्रय की गई विभिन्न मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की जा रही है जोकि नियमानुसार अपेक्षित थी। अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई कुछ मदों जिन्हें स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था का ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है।

क्र0सं0	विक्रेता का नाम	बिल संख्या/दिनांक	क्रय की गई सामग्री	राशि (₹)
		बी0आर0जी0एफ0		
1	एस0कुमार फर्नीचर हाउस	180/शून्य	32 कुर्सियाँ @ 550+ वैट	20020
2	संजय स्टोर संराह	2480/4.7.14	Iron sheets, angles etc	50700
		सामान्य निधि		
3	सूद जनरल स्टोर	277/2.10.14	3000 ईटें	24000
4	हिमालयन गुडस कैरियर	88/05.01.15	10 बैग सीमेंट	3350
5	संजय स्टोर संराह	2129/26.10.14	200 किलो सरिया	11250
			कुल योग	**109320**

अतः क्रय की गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियों को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव सुनिश्चित किया जाए।

13 सीमेन्ट को HPSCSC, Ltd से न खरीदकर ₹7315 का अधिक भुगतानः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा सीमेंट की खरीद (निम्न तालिकानुसार) HPSCSC, Ltd से न करके निजी विक्रेताओं से की गई है जिसके कारण पंचायत निधि से ₹7315 का अधिक भुगतान हुआ है जबकि उक्त खरीद से पूर्व पंचायत द्वारा HPSCSC, Ltd से सीमेंट की आपूर्ति न करने बारे कोई भी अनापत्ति (NOC) प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था क्योंकि ऐसा कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त खरीद को HPSCSC, Ltd से न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये, अन्यथा उक्त राशि को सम्बन्धित से वसूलकर पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए। सीमेंट की उक्त खरीद का ब्यौरा निम्नानुसार हैः—

क्र0सं0	विक्रेता का नाम	बिल सं0 व दिनांक	सीमेंट की मात्रा	प्रति बैग दर (₹)	HPSCC की दरें (₹)	अधिक भुगतान (₹)
		सामान्य निधि (विविध अनुदान)				
1	एस0टी0सन्स	59 18.7.14	15 बैग	343	245.40	1464
2	हिमालयन गुडस	89 05.01.15	15 बैग	335	245.40	1344
3	———	88 05.01.15	10 बैग	335	245.40	896
			बी0आर0जी0एफ0			
4	——	75 18.7.14	38 बैग	343	245.40	3611
				कुल अधिक अदायगी		7315

14 जे0सी0बी0 चार्जिज का ₹10230 का अधिक भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य, सम्पर्क मार्ग टॉप आंजी से मलाह तक को जे0सी0बी0 द्वारा करवाने हेतु माह 02/2015 में जे0सी0बी0 ठेकेदारों से न्यूनतम दरें (Quotations) आमन्त्रित की गई, जिसके लिए निम्न तालिकानुसार ठेकेदारों से अपनी न्यूनतम दरें (कोटेशन्स) प्रस्तुत की।

क्र0सं0	ठेकेदार का नाम व पता	कोटेशन्स की तिथि	कोटिड दर (₹)
1	कुसुम ठाकुर, ग्राम व डाकघर डिम्बर, तहसील राजगढ़	26.2.15	750 प्रति घंटा
2	कँवर अर्थ मूवरस एंड कन्स्ट्रक्शन, ग्राम बलग, डाकघर कैथू	29.2.15	800 प्रति घंटा
3	एस0टी0 कन्स्ट्रक्शन, ग्राम सरोज, डाकघर सरसू, तहसील पच्छाद	6.3.15	745 प्रति घंटा

उपरोक्त अनुसार एस0टी0 कन्स्ट्रक्शन ग्राम सरोज की दरें ₹745 प्रति घंटा सबसे न्यूनतम थी, जबकि उक्त कार्य व इस अवधि में जे0सी0बी0 से करवाए गये अन्य कार्यों के बिलों की जाँच के दौरान पाया गया कि जे0सी0बी0 चार्जिज का भुगतान दो विभिन्न दरों ₹745 व ₹800 प्रति घण्टे के हिसाब से किया गया था। अतः ₹745 प्रति घण्टे की न्यूनतम

दर होते हुए ₹800 प्रति घण्टे के हिसाब से 186 घण्टों का ₹10230 (186X55(800–745) का अधिक भुगतान तर्कसंगत व न्यायोचित प्रतीत नहीं होता, जिसकी उचित जाँच कर स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि को सम्बन्धित/उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से वसूल कर पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए। जे0सी0बी0 द्वारा ₹800 प्रति घण्टे की दर से करवाए गये कार्यों का ब्यौरा निम्न तालिकानुसार है।

क्र0सं0	**ठेकेदार का नाम**	**बिल नं0 व दिनांक**	**कार्य के घण्टे**	**कार्य का नाम**	**कार्य की अवधि**
1	आर0के0टिंकल खेरी	103 10.03.15	118	सम्पर्क मार्ग जब्याना से रावना	1.3.15 से 10.3.15
2	–यथोपरि–	133 14.3.15	7	सम्पर्क मार्ग टॉप आंजी से मलाह	12.3.15 से 14.3.15
3	–यथोपरि–	134 14.3.15	29	–––	25.2.15 से 27.2.15
4	रणजीत ठाकुर	433 24.3.15	32	–––	19.3.15 से 23.3.15
	कार्य के कुल घण्टें		**186**		

15 ₹0.80 लाख का बिना किसी बिल/वाउचर के आहरण/भुगतान, आहरित राशि का सम्भावित दुरूपयोगः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा अनुदान "विकास कार्य" की रोकड़ बही का अवधि 14.2.2017 से 31.3.2017 का संधारण नहीं किया गया था जबकि सम्बन्धित अनुदान के बचत खाते की पास बुक के अनुसार उक्त अवधि के दौरान खाते से निम्न तालिकानुसार ₹79692 आहरण/हस्तांतरण किया गया है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान उकत आहरण/हस्तांतरण से सम्बन्धित कोंई भी बिल/वाउचर पंचायत सचिव द्वारा जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार सम्बन्धित खाते से किया गया ₹79692 का आहरण/भुगतान पंचायती राज वित्त निमय 2002 के नियम 47 (1) व (2) की स्पष्ट अवहेलना होने के कारण अनियमित है जोकि आहरित राशि का दुर्विनियोजन प्रतीत होता है। अतः अतः मामले की आधिकारिक जाँच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा

पंचायत निधि से बिना बिल वाउचरों के आहरित ₹79692 को सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से दण्ड ब्याज सहित वसूली करके पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

बिना बिल/वाउचर के दर्शाये गए भुगतान का विवरण

क्र0सं0	चैक सं0	आहरण/भुगतान की गई राशि (₹)	दिनांक	विवरण/टिप्पणी
	विकास कार्य बचत बैंक खाता संख्या 31297095754			
1	350289	20000	18.3.2017	अजय कुमार
2	350290	20000	18.3.2017	अजय कुमार
3	350287	10692	20.3.2017	SBI, नेरी नावन
4	350291	29000	30.03.2017	Trf. To 032654482765
	कुल आहरण	**79692**		

इसके अतिरिक्त उपरोक्त अवधि में उक्त अनुदान के बैंक खाते में दिनांक 18.3.2017 को ₹20000 (Transfer 583509) व 25.3.2017 को ₹2440 ब्याज के जमा हुए है जिन्हें उपरोक्त आहरित राशियों के साथ अनुदान की रोकड़ बही में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

16 DWDO, Solan से प्राप्त ₹1.02 लाख की अनुदान राशि की सम्बन्धित खाते में जमा होने की पुष्टि न होनाः–

आय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि DWDO, Solan से निम्न तालिका में वर्णित रसीदों द्वारा प्राप्त ₹102275 की अनुदान राशि का उल्लेख न तो सामान्य निधि की रोकड़ बही में पाया गया और न ही इनसे सम्बन्धित कोई अन्य अभिलेख पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत किया गया, जिस कारण उक्त अनुदान के उपयोग बारे अंकेक्षण नहीं किया जा सका। अतः उक्त अनुदान के उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाए अन्यथा उक्त राशि को सम्बन्धित संस्था (Funding Agency) को वापिस कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त रसीदों व प्राप्त अनुदान की राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	रसीद संख्या व दिनांक	प्राप्त अनुदान की राशि (₹)
1	2013/083	9000
2	---/090	9000
3	---/091	42138
4	---/092	23196
5	---/094	18941
	कुल राशि	**102275**

17 मनरेगा की रोकड़ बही को संधारित न करना:–

ग्राम पंचायत नेरी नावन की मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत द्वारा मनरेगा की रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया था। योजना में स्वीकृत अनुदान की राशियों व व्यय भुगतान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा ऑन–लाईन होने के कारण स्वीकृत राशियों व व्यय की गई राशियों को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया जा रहा है जबकि सभी बिल/वाउचरों को पंचायत स्तर पर ही रखा जा रहा है इसलिए रोकड़ बही का पंचायत स्तर पर ही संधारित किया जाना है। परिणामस्वरूप अंकेक्षण अवधि में उक्त योजना में कितनी अनुदान राशि स्वीकृत हुई व कितनी राशि का भुगतान शेष है, का सम्पूर्ण विवरण/ब्यौरा अंकेक्षण को नहीं दर्शाया गया। अतः मनरेगा निधि से अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदान व भुगतान का पूर्ण विवरण रोकड़ बही में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए व अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

18 बजट प्राक्कलन तैयार न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत की आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

19 सावधि जमा में राशि का निवेश न करनाः—

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा योजना में निवेशित नहीं की गई थी, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग अगले 6 माह तक नहीं किया जाना हो उस राशि को पंचायत में इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा योजना में निवेशित कर पंचायत के लिए ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय का सृजन किया जा सकता है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त नियम में दिये गये निर्देशों की अनुपालना करते हुए अधिशेष (Surplus Funds) राशि को सुनियोजित तरीके से निवेश कर ग्राम पंचायत निधि के लिए ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय का सृजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

20 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही तरीके से रख—रखाव न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अपेंक्षित प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र व उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके अभाव में निर्माण कार्यों पर किये गये व्यय की माप पुस्तिकाओं के अनुसार जाँच नहीं की जा सकी। अतः उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा साथ ही उन्हें आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि पंचायत द्वारा निष्पादित करवाए जा रहे लाखों रूपये के निर्माण कार्यों की पूर्ण जाँच सम्भव/सुनिश्चित हो सके।

21 रसीद बुकों के उपयोग से सम्बन्धित अनियमितता बारेः—

(क) जारी की गई रसीदों से छेड़छाड़ कर एकत्रित राशि से ₹2000 का सम्भावित दुर्विनियोजनः—

पंचायत की आय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रसीद बुक संख्या 2018 से निम्न तालिका में दर्शाई गई 40 रसीदों (बिना तिथि व जारी करने वाले के हस्ताक्षर के) से

प्राप्त गृहकर की राशि को ₹100 से काटकर ₹50 प्रति रसीद करके प्राप्त राशि को पंचायत निधि में ₹2000 कम जमा करवाया गया प्रतीत होता है, जोकि पंचायत की आय का सम्भावित दुर्विनियोजन प्रतीत होता है। अतः उक्त प्रकरण की अधिकारिक जाँच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा कम जमा करवाई गई राशि को सम्बन्धित से दण्ड ब्याज सहित वसूलकर पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत कावाया जाए। उक्त जारी की गई रसीदों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

रसीद बुक संख्या 2018

क्र0सं0	**रसीद सं0**	**कुल रसीदें**
1	3 व 4	2
2	8 से 27 तक	20
3	30 से 32 तक	3
4	34	1
5	48 से 53 तक	6
6	55 व 56	2
7	58	1
8	60 से 62 तक	3
9	64 व 65	2
	कुल रसीदें	**40**

(ख) आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (4) व (5) के अनुसार पंचायत सचिव तथा प्रधान द्वारा रसीद बुकों पर गणना से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया था तथा अधिकतर रसीदें बिना तिथि तथा जारीकर्ता के हस्ताक्षर के पाई गई, उन पर की गई कटिंग्स तथा रद्द करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन भी नहीं किया जा रहा है।

22 पंचायत वित्त नियम 17 (2) व 50 की अवहेलना पर व्यय की राशि का नगद भुगतानः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 17 (2) के अनुसार ₹1000 से अधिक की राशि का भुगतान मात्र चैक से ही किए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना न करके ग्राम पंचायत सचिव द्वारा निम्न तालिकानुसार चैक संख्या 343554 से

राशि आहरित करके विभिन्न पक्षों को ₹68000 का भुगतान नगद रूप में किया है, जोकि उक्त नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः सम्बन्धित पक्ष को राशि का भुगतान चैक द्वारा न किये जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में ₹1000 से अधिक की राशि का भुगतान चैक द्वारा ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

इसके अतिरिक्त इन नगद भुगतान की गई राशियों से सम्बन्धित कोई भी रसीद/पावती भी अभिलेख में संलग्न नहीं पाई गई, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 50 के अनुसार ₹1000 से अधिक की राशि के भुगतान की सम्बन्धित पक्ष में रसीद प्राप्त करने का प्रावधान है। अतः इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए और यदि भुगतान सम्बन्धित पक्ष को कर दिया गया है तो उससे सम्बन्धित पक्की रसीद/पावती कर आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जाए अन्यथा ₹68000 को सम्बन्धित से वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अनुदान (TSC)

कार्य का नामः शौचालय सोडा ध्याड़ी

विक्रेता/प्राप्तकर्ता का नाम	**प्राप्त राशि**	**दिनांक**	**सामग्री/कार्य**	**टिप्पणी**
हिमालयन गुडस	12600	2.10.14	252 फुट रेत रोडी	बिल नं0 73
मिस्त्री	4350	——	15 दिन @290	——
मस्ट्रोल	5800	——	35 दिन @170	——
संजय स्टोर	11250	26.10.14	200 किलो सरिया	बिल नं0 2129
	कार्य का नामः— शौचालय खील बैलू			
हिमालयन गुडस	12600	2.10.14	252 फुट रेत रोडी	बिल नं0 79
मिस्त्री	4350	——	15 दिन @290	——
मस्ट्रोल	5800	——	35 दिन @170	——
संजय स्टोर	11250	26.10.14	200 किलो सरिया	बिल नं0 2130
कुल अदायगी	**68000**			

23 पंचायत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय पंजिका का संधारण किये बिना ही भुगतानः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 62 के अनुसार ग्राम पंचायत निधि से पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्यों चौकीदार, पशुचिकित्सक सहायक, सिलाई प्रशिक्षण अध्यापिका आदि को निधि की रोकड़ बही के अनुसार अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान ₹561490 (वर्षवार 151350+190035+220105) के मानदेय का भुगतान दर्शाया गया है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान न तो सचिव ग्राम पंचायत नेरी नावन उक्त राशि के भुगतान से सम्बन्धित मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत किया गया और न ही उक्त भुगतान से सम्बन्धित रसीदें अंकेक्षण के लिए प्रस्तुत अभिलेख में पाई गई, जिनकी अनुपस्थिति में उक्त राशि का निधि से किया गया भुगतान अनियमित प्रतीत होता है। जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा उक्त अभिलेख सम्बन्धित पावतियों सहित आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

इसके अतिरिक्त मानदेय की सरकार द्वारा अनुमोदित की गई दरों से सम्बन्धित कोई भी दस्तोवज/अभिलेख ग्राम पंचायत कार्यालय में अंकेक्षण के अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं था जिस कारण मानदेय भुगतान की सही दरों की पुष्टि भी नहीं की जा सकी। अतः मानदेय भुगतान की सही दरों की पुष्टि हेतु हिमाचल सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति पंचायत कार्यालय में उपलब्ध होना भी सुनिश्चित किया जाये।

24 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

क्र0सं0	रजिस्टर व अभिलेख का नाम
1	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर

2	रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक की मिलान सारणी
3	चैक जारी करने का रजिस्टर
4	चल एवं अचल सम्पत्ति का रजिस्टर
5	आकस्मिक व्यय रजिस्टर
6	चैक प्राप्ति रजिस्टर
7	अग्रिमों का रजिस्टर
8	रसीद बुकों का रजिस्टर
9	मानदेय रजिस्टर
10	मांग व प्राप्ति रजिस्टर
11	प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर

25 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

26 लघु आपत्ति विवरणिकाः—

i) ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित रूप से सत्यापित व पारित नहीं किया गया है जबकि पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक की ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंकों दोनों में देय रकम को इसमे विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित न किया गया हो। अतः भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ii) पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 7 को अनुसार प्रत्येक बिल/वाउचर पर ग्राम सभा द्वारा सम्बन्धित व्यय को पारित किये जाने की प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित

किया जाना अनिवार्य है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये जा रहे किसी भी बिल/वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त नियम का सख्ती से पालन किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

27 **निष्कर्षः—** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177 2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(10) 8/2017—खण्ड—1—24—27 दिनाँक 02.01.2018
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर जिला सिरमौर, हि0प्र0
3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पच्छाद जिला सिरमौर, हि0प्र0
पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत नेरी नावन विकास खण्ड पच्छाद जिला सिरमौर, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177 2620881